



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने वाले 02 वांछित

अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.05.2024 को वादी ने थाना बिहारीगढ पर उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थान पत्र बाबत अभियुक्त अमित कुमार पुत्र रणजीत निवासी नरोत्तमगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0स0 80/24 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त अमित पुत्र रणजीत निवासी नरोत्तमगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर व प्रकाश में आये अभियुक्त लोकेश पुत्र सौराज सिंह निवासी रसूलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को दामोदराबाद घूम टीन शैड के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 (डी) भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. अमित पुत्र रणजीत निवासी नरोत्तमगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. लोकेश पुत्र सौराज सिंह निवासी रसूलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2201 विपन कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 छुरी
नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **उस्मान पुत्र जमील**, निवासी **मौहल्ला बावा सराय**, छिपीयान थाना कोतवाली नगर जिला **सहारनपुर** को न्यू प्रताप रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 छुरी नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0187/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा जो नाजायज छुरी मुझसे बरामद की गयी है उसे मैं आस पास के क्षेत्रों के लोगो को डराने व धमकाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उस्मान पुत्र जमील, निवासी मौहल्ला बावा सराय, छिपीयान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

बरामदगी-

➤ 01 छुरी नाजायज।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 63/16 धारा 13 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. आरक्षी अर्कित पवार 1460 कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल

बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.02.2024 वादी अनिल कुमार पुत्र शीषपालन निवासी ग्राम बरथाखास थाना चिलकाना सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी करे लेने के संबंध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2024 को सदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चैकिंग के दौरान थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त शाहरुख पुत्र नाजिम निवासी ग्राम सोन्धेबास थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम पचकुआ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी हुई मोटर साइकिल CD DELUX रजिस्ट्रेशन न0 UP11 AZ 3942 बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिख हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं और मेरा 01 अन्य साथी दोनो मिलकर मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं और उसे बेचकर हुए मुनाफे को आपस में बाँट लेते हैं। आज जब मैं चोरी की बाइक बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

शाहरुख पुत्र नाजिम निवासी ग्राम सोन्धेबास थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी-

➤ 01 चोरी की मोटर साइकिल CD DELUX (रजिस्ट्रेशन न0 UP11 AZ 3942)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उप निरी0 यूटी आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. हे0का0 494 योगेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गया

गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निगर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण **1. सुनील पुत्र प्रमोद 2. सचिन पुत्र प्रमोद निवासी गण जौला डिडौली थाना नांगल जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 12318/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को ग्राम जौला डिडौली के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. सुनील पुत्र प्रमोद निवासी जौला डिडौली थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. सचिन पुत्र प्रमोद निवासी जौला डिडौली थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 यूटी मनोरमा थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक 07.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के 01 वांछित

अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.05.2024 को वादिया ने थाना सदर बाजार पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त साकिब पुत्र मौ० अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बुरी नियत से आते-जाते समय पीछा करना, रास्ते में जबरदस्ती पकड़ छेड़छाड़ करना व जान से मारने का धमकी देने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 259/24 धारा 354(क)/ 354(घ)/ 506 भादवि 3(2)(5)(क) एससी/ एसटी एक्ट व 7/8 पोस्को अधि० भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.05.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा तवरित कार्यावाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त साकिब पुत्र मौ० अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को मवीकला अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 452 व 354 (ख) की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

साकिब पुत्र मौ० अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम ताहरपुर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

- 1.उ० नि० श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 2.का० 1396 पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर
- 3.हे०का० 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.2024 को वादी की तहरीरी सूचना बावत दिनांक 28.03.24 की रात्रि में अभियुक्त अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 363 भादवि बनाम अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुये नाबालिग की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को अम्बाला सरसावा हाईवे तिराहे के पास थाना क्षेत्र नकुड से गिरफ्तार कर अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी, अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अरुण पुत्र महीपाल निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 889 राधा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।